

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 49

गृह मंत्रालय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4180.54	473.37	4653.91	4286.00	601.58	4887.58	4502.18	526.98	5029.16	4611.90	622.36	5234.26
<i>वसूलियां</i>	-33.96	-0.10	-34.06	-70.10	...	-70.10	-59.58	-10.42	-70.00	-70.00	...	-70.00
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	4146.58	473.27	4619.85	4215.90	601.58	4817.48	4442.60	516.56	4959.16	4541.90	622.36	5164.26
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	61.17	...	61.17	57.75	...	57.75	64.93	...	64.93	65.77	...	65.77
	-0.02	...	-0.02	-0.06	...	-0.06	-0.03	...	-0.03
<i>निवल</i>	61.15	...	61.15	57.75	...	57.75	64.87	...	64.87	65.74	...	65.74
2. अन्य स्थापना	2015.48	...	2015.48	2134.98	...	2134.98	2263.94	...	2263.94	2345.46	...	2345.46
	-3.95	...	-3.95	-1.23	...	-1.23	-1.64	...	-1.64	-1.60	...	-1.60
<i>निवल</i>	2011.53	...	2011.53	2133.75	...	2133.75	2262.30	...	2262.30	2343.86	...	2343.86
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	2072.68	...	2072.68	2191.50	...	2191.50	2327.17	...	2327.17	2409.60	...	2409.60
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
3.01 आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.71	0.06	0.77	0.55	0.07	0.62	0.55	0.07	0.62	0.55	0.21	0.76
3.02 आपदा प्रबंधन	0.15	12.73	12.88	0.16	20.41	20.57	0.35	2.48	2.83	0.31	19.32	19.63
	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>	0.15	12.73	12.88	0.16	20.41	20.57	0.34	2.48	2.82	0.30	19.32	19.62
3.03 कृषि और संबद्ध गतिविधियां	9.46	13.07	22.53	10.34	13.05	23.39	9.16	11.38	20.54	12.50	11.03	23.53
	-1.94	-0.01	-1.95	-4.10	...	-4.10	-3.88	...	-3.88	-2.83	...	-2.83
<i>निवल</i>	7.52	13.06	20.58	6.24	13.05	19.29	5.28	11.38	16.66	9.67	11.03	20.70
3.04 जलापूर्ति और स्वच्छता	62.66	42.00	104.66	23.27	40.20	63.47	23.76	48.50	72.26	20.51	42.00	62.51
3.05 ग्रामीण विकास	71.47	3.61	75.08	83.63	0.80	84.43	75.80	3.60	79.40	83.00	0.90	83.90
3.06 ऊर्जा	527.89	9.34	537.23	486.14	9.40	495.54	613.88	15.40	629.28	523.42	23.48	546.90

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	-0.54	-0.09	-0.63	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50
निवल	527.35	9.25	536.60	485.64	9.40	495.04	613.38	15.40	628.78	522.92	23.48	546.40
3.07 वानिकी और वन्य जीव	3.19	28.12	31.31	3.63	26.12	29.75	3.34	26.48	29.82	3.62	27.01	30.63
3.08 नागरिक आपूर्ति	21.01	0.70	21.71	20.61	0.70	21.31	21.11	0.70	21.81	19.17	1.00	20.17
	-17.40	...	-17.40	-29.00	...	-29.00	-28.78	...	-28.78	-20.00	...	-20.00
निवल	3.61	0.70	4.31	-8.39	0.70	-7.69	-7.67	0.70	-6.97	-0.83	1.00	0.17
3.09 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	113.94	21.88	135.82	108.11	27.95	136.06	86.33	20.51	106.84	91.61	20.20	111.81

निवल	113.94	21.88	135.82	108.11	27.95	136.06	86.33	20.51	106.84	91.61	20.20	111.81
3.10 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	34.17	37.54	71.71	37.80	34.98	72.78	35.37	38.03	73.40	36.80	33.22	70.02
	-0.09	...	-0.09	-0.30	...	-0.30	-0.20	...	-0.20	-0.10	...	-0.10
निवल	34.08	37.54	71.62	37.50	34.98	72.48	35.17	38.03	73.20	36.70	33.22	69.92
3.11 सामाजिक कल्याण	75.40	2.15	77.55	72.92	1.50	74.42	85.72	5.00	90.72	89.13	2.90	92.03
3.12 ग्रामीण और लघु उद्योग	1.57	1.20	2.77	2.11	1.30	3.41	2.23	2.50	4.73	5.27	2.50	7.77

निवल	1.57	1.20	2.77	2.11	1.30	3.41	2.23	2.50	4.73	5.27	2.50	7.77
3.13 सूचना और प्रचार	2.86	0.04	2.90	2.52	0.13	2.65	2.72	0.08	2.80	2.30	0.08	2.38
3.14 श्रम और रोजगार	0.27	3.30	3.57	0.25	3.50	3.75	0.30	5.20	5.50	0.30	2.00	2.30
3.15 सड़क परिवहन	25.89	3.29	29.18	24.75	4.83	29.58	25.82	7.30	33.12	24.75	3.80	28.55
	-0.02	...	-0.02	-0.02	...	-0.02	-0.02	...	-0.02
निवल	25.87	3.29	29.16	24.75	4.83	29.58	25.80	7.30	33.10	24.73	3.80	28.53
3.16 सड़कें और पुल	117.58	68.10	185.68	114.81	74.40	189.21	78.74	96.35	175.09	108.00	79.20	187.20

निवल	117.58	68.10	185.68	114.81	74.40	189.21	78.74	96.35	175.09	108.00	79.20	187.20
3.17 पत्तन और प्रकाश घर	55.58	17.94	73.52	58.30	23.60	81.90	83.45	31.75	115.20	84.59	22.10	106.69

निवल	55.58	17.94	73.52	58.30	23.60	81.90	83.45	31.75	115.20	84.59	22.10	106.69
3.18 पोत परिवहन	439.08	6.40	445.48	470.50	96.81	567.31	470.10	86.80	556.90	474.60	105.70	580.30

निवल	439.08	6.40	445.48	470.50	96.81	567.31	470.10	86.80	556.90	474.60	105.70	580.30
3.19 नागरिक उद्यम	72.05	1.00	73.05	74.00	1.01	75.01	74.00	13.20	87.20	72.00	3.01	75.01
3.20 पर्यटन	6.00	7.96	13.96	5.14	7.50	12.64	5.97	7.50	13.47	5.09	6.00	11.09

निवल	6.00	7.96	13.96	5.14	7.50	12.64	5.97	7.50	13.47	5.09	6.00	11.09
3.21 लोक निर्माण कार्य	61.69	30.76	92.45	31.55	26.20	57.75	32.66	31.00	63.66	29.40	28.96	58.36

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	-9.98	...	-9.98	-34.97	...	-34.97	-24.49	...	-24.49	-44.91	...	-44.91
	<i>निवल</i> 51.71	30.76	82.47	-3.42	26.20	22.78	8.17	31.00	39.17	-15.51	28.96	13.45
3.22 आवास	33.94	13.00	46.94	16.30	10.00	26.30	16.55	15.00	31.55	16.60	10.00	26.60
	-10.42	-10.42
	<i>निवल</i> 33.94	13.00	46.94	16.30	10.00	26.30	16.55	4.58	21.13	16.60	10.00	26.60
3.23 शहरी विकास	156.80	1.50	158.30	232.60	1.20	233.80	166.34	2.10	168.44	244.47	1.30	245.77
3.24 पुलिस और अग्निशमन नियंत्रण	...	15.95	15.95	...	17.15	17.15	...	16.37	16.37	...	14.40	14.40

	<i>निवल</i> ...	15.95	15.95	...	17.15	17.15	...	16.37	16.37	...	14.40	14.40
3.25 ट्रांसपोर्ट को भाड़े पर लेना	94.47	...	94.47	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00	128.00	...	128.00
3.26 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण गतिविधियां	0.36	...	0.36	0.86	0.01	0.87	0.49	...	0.49	0.86	0.01	0.87
<i>जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं</i>	1958.22	341.54	2299.76	1911.98	442.82	2354.80	1976.86	476.88	2453.74	2008.48	460.33	2468.81
4. केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्रों का पूरक	14.49	...	14.49	15.34	...	15.34	32.67	...	32.67	19.82	...	19.82
5. आदिवासी क्षेत्र घटक	96.81	131.73	228.54	92.46	158.76	251.22	99.41	39.68	139.09	98.06	162.03	260.09
6. अनुदानग्राही/अन्य निकाय												
6.01 सोवेटेक	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00
6.02 अन्य अनुदानग्राही निकाय	0.35	...	0.35	0.59	...	0.59	0.46	...	0.46	0.91	...	0.91
<i>जोड़- अनुदानग्राही/अन्य निकाय</i>	4.35	...	4.35	4.59	...	4.59	6.46	...	6.46	5.91	...	5.91
7. संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
जोड़-अन्य	2073.90	473.27	2547.17	2024.40	601.58	2625.98	2115.43	516.56	2631.99	2132.30	622.36	2754.66
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	2073.90	473.27	2547.17	2024.40	601.58	2625.98	2115.43	516.56	2631.99	2132.30	622.36	2754.66
कुल जोड़	4146.58	473.27	4619.85	4215.90	601.58	4817.48	4442.80	516.56	4959.16	4541.90	622.36	5164.26

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए है।

3.02. **आपदा प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत के लिए प्रावधान शामिल है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रावधान शामिल है अर्थात् न्यायालय, स्टाम्प एवं पंजीकरण, कर, कोषागार एवं लेखा प्रशासन की स्थापना, पुलिस, जेल, अन्य प्रशासनिक सेवा, जनजातीय कल्याण, आपदा प्रबंधन, उद्योग, जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी, खेतीबाड़ी, मृदा एवं जल संरक्षण, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता, भू-राजस्व, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, विद्युत, वन एवं वन्य जीव, वैज्ञानिक अनुसंधान, सिविल आपूर्ति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा मामले, कला एवं संस्कृति, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, सूचना एवं प्रचार, श्रम एवं नियोजन, पर्यटन, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, लोक निर्माण कार्य, शहरी विकास, लघु सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, नई एवं नवीकरणीय उर्जा, नागर विमानन, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं पत्तन तथा प्रकाश घर आदि शामिल हैं।

3.03. **कृषि और संबद्ध गतिविधियां:** इसमें खेतीबाड़ी, मृदा संरक्षण, अन्य कृषि कार्यक्रमों, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता और लघु सिंचाई के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **जलापूर्ति और स्वच्छता:** इसमें ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति, जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद को अनुदानों के लिए योजना के अंतर्गत प्रावधान शामिल है।

3.05. **ग्रामीण विकास:** इसमें जिला परिषद/पंचायत समिति को अनुदानों सहित ग्रामीण विकास, पंचायती राज के सुदृढीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.01. **आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण:** इसमें अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **ऊर्जा:** इसमें विद्युत उत्पादन, ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोत, एकीकृत ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।

- 3.07. **वानिकी और वन्य जीव:** इसमें वानिकी एवं वन्य जीव, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.08. **नागरिक आपूर्ति:** इसमें खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउसिंग तथा सिविल आपूर्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.09. **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** इसमें एएनआईएमईआरएस (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान सोसायटी) को चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.10. **शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** इसमें शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक, तकनीकी, विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा), खेल, कला एवं संस्कृति के लिए प्रावधान शामिल है तथा इसमें जिला परिषद और गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता भी शामिल है।
- 3.11. **सामाजिक कल्याण:** इसमें वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, निराश्रितों, दिव्यांगों के कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण के लिए प्रावधान शामिल है तथा इसमें यूटीसीपीसीआर (संघ राज्य क्षेत्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग), एसडब्ल्यूएवी (समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड), वीएपी (सीमावर्ती क्षेत्र परियोजना) के लिए प्रावधान तथा स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता भी शामिल है।
- 3.12. **ग्रामीण और लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों, केवीआईवी (खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड) को सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.13. **सूचना और प्रचार:** इसमें सूचना एवं प्रचार तथा लेखन सामग्री और मुद्रण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.14. **श्रम और रोजगार:** इसमें श्रम एवं रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.15. **सड़क परिवहन:** इसमें यात्री बसों की खरीद और उनके अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.16. **सड़कें और पुल:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण और उनके अनुरक्षण तथा जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद को उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए अनुदानों हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.17. **पत्तन और प्रकाश घर:** इसमें पत्तन एवं प्रकाश घर, डॉकयार्ड एवं ड्राइडॉकिंग, स्टीवडोरिंग, नौका सेवाओं आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.18. **पोत परिवहन:** इसमें पोत परिवहन तथा अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.19. **नागरिक उड्डान:** इसमें हेलीकॉप्टर और विमानों के चार्टरिंग के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.20. **पर्यटन:** इसमें पर्यटन के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.21. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें प्रशासनिक/कार्यालय भवनों, बाढ़ नियंत्रण, समुद्री दीवार आदि के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.22. **आवास:** इसमें आवासीय भवनों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

- 3.23. **शहरी विकास:** इसमें नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा अनुरक्षण, योजना के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद को अनुदानों के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.24. **पुलिस और अग्निशमन नियंत्रण:** इसमें पुलिस, आईआरबीएन, अग्निशमन के लिए कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.25. **ट्रांसपोर्ट को भाड़े पर लेना:** इसमें सेटलाईट ट्रांसपोर्ट्स किराये पर रखने के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.26. **अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण गतिविधियां:** इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सेनानियों, राज्य सैनिक बोर्ड के लिए नकद अनुदान, संकट में फंसे परिवारों तथा श्रीलंकाई तमिल प्रत्यावासियों के बंदोबस्त के लिए प्रावधान शामिल है।
4. **केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्रों का पूरक:** इसमें केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र के बजट के अंतर्गत सहायता का प्रावधान शामिल है जैसे दोपहर के भोजन का कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषाहार आदि), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एनआरएचएम, एनयूएचएम, राष्ट्रीय आयुष मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान।
5. **आदिवासी क्षेत्र घटक:** इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन विभिन्न विभागों के संबंध में जन-जातीय क्षेत्र विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 6.01. **सोवटेक:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा संवर्धन सोसायटी को अनुदान शामिल है।
- 6.02. **अन्य अनुदानग्राही निकाय:** इसमें वफफ बोर्ड, हज कमेटी, पुलिस कल्याण सोसायटी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अनुदान शामिल है।
7. **संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय:** इसमें एएनआईएफपीडीसीएल (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह पौधा रोपण विकास निगम लि.) के लिए प्रावधान, नावार्ड से ऋण लेने के लिए प्रावधान तथा पेंशन प्रभागों, ब्याज और मूल्य ह्रास आदि के लिए प्रावधान शामिल है।